उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर–थानों रोड, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, रायपुर के सामने
देहरादून–248008

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E- mail: chayanayog@gmail.com

विज्ञापन संख्याः 76/उ0अ0से0च0आ0/2026 दिनांकः 08 मई, 2026

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' सीधी भर्ती के माध्यम से पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	08 मई, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि	13 मई, 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि	02 जून, 2026
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि	05 जून से 07 जून, 2026 तक
लिखित परीक्षा की अनन्तिम तिथि	12 जुलाई, 2026

02. उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के समूह–'ग' के रिक्त 120 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर दिनांक 02 जून, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। **अभ्यर्थी को अपने नाम व जन्मतिथि के सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र में हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र के साथ–साथ अपने आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण–पत्र अपलोड करने तथा ऐसे पद जिनके लिए अनुभव प्रमाण–पत्र की अनिवार्यता हो, अनुभव प्रमाण–पत्र भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।** रिक्त पदों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

क्र0सं0	पदनाम/विभाग का नाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1	पशुधन प्रसार अधिकारी (सीधी भर्ती हेतु) (पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड)	रू0 35,400–रू0 1,12,400 (लेवल–06)	108
2	पशुधन प्रसार अधिकारी (विभागीय कार्मिकों हेतु) (पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड)		12
योग–			**120**

03. अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की **Offline अथवा Online mode** में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अनन्तिम है। परीक्षा की तिथि की संशोधित सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन–पत्र में दिये गये Mobile Phone Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. के माध्यम से प्राप्त होंगी, इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का सही मोबाइल नंबर व ई–मेल आई0डी0 ही आवेदन पत्र में अंकित करें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएंगी। अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र इत्यादि के लिए आयोग की वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करते रहें।

04. **पदों का विवरणः–** उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है। इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है। उत्तराखण्ड शासन के क्षैतिज व ऊर्ध्व आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों/नियमों/शासनादेशों में निर्धारित/नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन/परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

A- पदनाम– **पशुधन प्रसार अधिकारी**

पदकोड–646/343/76/2026 **कुल पद–120**

(i) रिक्तियों का विवरण एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थितिः–

क्र0 सं0	पदनाम/विभाग का नाम	आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या						
				उत्तराखण्ड की महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	भूतपूर्व सैनिक	अनाथ	उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारी या उनके आश्रित	दिव्यांग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	पशुधन प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग) (सीधी भर्ती हेतु)	अ0जा0	21	06	—	01	—	—	02	(04) HH/PD-01, DW-01, AAV/AV-01, LV/PB-01
		अ0ज0जा0	04	01	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	15	04	—	—	—	—	01	
		आ0क0व0	10	03	—	—	—	—	01	
		अना0	58	17	01	02	05	02	05	
		योग	108	31	01	03	05	02	09	04
2	पशुधन प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग के विभागीय कर्मचारियों हेतु)	अ0जा0	03	—	—	—	—	—	—	—
		अ0ज0जा0	—	—	—	—	—	—	—	
		अ0पि0व0	01	—	—	—	—	—	—	
		आ0क0व0	—	—	—	—	—	—	—	
		अना0	08	02	—	—	—	—	—	
		योग	12	02	—	—	—	—	—	—
योग–			120	33	01	03	05	02	09	04

(ii) वेतनमानः– रू0 35,400–रू0 1,12,400 (लेवल–06)

(iii) आयु सीमाः– 21 वर्ष से 42 वर्ष तक।

(iv) पद का स्वरूपः–अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।

(v) शैक्षिक अर्हताः–

(a) अनिवार्य अर्हताः–

i. सीधी भर्ती हेतुः–

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि/पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक।

नोट :–

1. पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया

जायेगा अथवा ऐसे प्रशिक्षण, जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय, पर जाने की अपेक्षा की जाएगी।

2. प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं हैं।

ii. केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतुः–

विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

नोट :–

पशुधन प्रसार अधिकारी के पद पर नियुक्ति से पूर्व 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र एवं 06 माह का प्रशिक्षण विभागीय पशुचिकित्सालयों में पशुचिकित्सा अधिकारी के पर्यवेक्षण में प्रदान किया जायेगा, तत्पश्चात सम्बन्धित अभ्यर्थियों को पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्त किया जायेगा अथवा ऐसे प्रशिक्षण, जैसा कि समय–समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाय, पर जाने की अपेक्षा की जाएगी।

(b) अधिमानी अर्हताएंः– अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा जिसनेः–

1. नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
2. एन0एस0एस0 का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या
3. रिमाउन्ट वैटरीनरी कोर में वैटरीनरी ड्रैसर श्रेणी–1 तथा श्रेणी–2 के रूप में निरन्तर 15 वर्ष की सक्रिय सेवा की हो।

05. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया–

(i) उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु **परिशिष्ट–01** का अवलोकन करें।

(ii) सामान्य व ओ0बी0सी0 श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे।

(iii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति है।

(iv) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) तीन प्रतियों (ट्रिप्लीकेट) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।

(v) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम उत्तर का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vi) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(vii) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नही दिया जाएगा।

(viii) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

(ix) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी ओ0एम0आर0 शीट में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसकी ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(x) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।

06. **अधिमानः**– लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा कनिष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा), आयु के भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा **(अन्य बातों के समान होने पर 4(b) के अनुसार)** तथा अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

07. **आयुः**–

उपरोक्त पदों हेतु **आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2026 है।** पशुधन प्रसार अधिकारी के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 2005 के पश्चात एवं 02 जुलाई, 1984 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005** द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को **शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005** द्वारा समूह-'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक-2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो, तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

08. **आवेदन हेतु पात्रताः**–

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु **निम्नलिखित अनिवार्य/वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:**–

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

(ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।

(ग) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो।

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड

में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे। राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी, समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

(घ) शासन के पत्रांक–1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलित हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों की उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को आवेदन करने हेतु अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/XXX(2)/2010-3(1)/2010 दिनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

09. <u>अनापत्ति प्रमाण–पत्रः–</u>

केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा अभिलेख सन्निरीक्षा के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण–पत्र" प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

10. <u>राष्ट्रीयताः–</u>

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में उपरोक्तानुसार पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

11. <u>चरित्र</u>:–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार उचित नही पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

12. <u>वैवाहिक प्रास्थिति</u>:–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

13. <u>शारीरिक स्वस्थता</u>:–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो।

14. <u>आरक्षण</u>:–

i. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।

ii. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04%, अनाथ बच्चों हेतु 05%, कुशल खिलाड़ी के लिए 04% तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।

iii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षा की जाती है कि वे दिनांक 01.04.2026 से दिनांक **02.06.2026** (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2025–26 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु मान्य हो, को धारित करते हों।

iv. शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अतः अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ओबीसी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिए।

v. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

vi. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019 दिनांक 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्याः 11/XXX(2)/2022-30(2)/2019 दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सम्बन्धित प्रमाण–पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

vii. **"भूतपूर्व सैनिक"** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो–**(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं–**(एक)** निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, **(दो)** सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयाग्य व्यक्ति, और **(तीन)** शौर्य पुरस्कार पाने वाले। **(चार)** जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सन्निरीक्षा समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण–पत्र अभिलेख सन्निरीक्षा के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

viii. भारत सरकार की कार्यालय ज्ञाप संख्या– 36034/6/90-Estt.(SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कोई पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जो पहले से ही राज्य सरकार की समूह 'ग' और 'घ' की सेवा में कार्यरत है, वह राज्य सरकार के अधीन समूह 'ग' और 'घ' में उच्चतर श्रेणी या संवर्ग में किसी अन्य सेवायोजन को प्राप्त करने के लिए पूर्व सैनिक हेतु यथाविहित आयु शिथिलता का लाभ प्राप्त कर सकेगा, यद्यपि ऐसा अभ्यर्थी राज्य सरकार की नौकरी में पूर्व सैनिक हेतु आरक्षण के लाभ के लिए अर्ह नहीं होगा।

ix. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

x. **"स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित"** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के **(एक)** पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) **(दो)** पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) **(तीन)** पुत्री के पुत्र/पुत्री से अभिप्रेत है।

xi. **उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–244/xxxvi(3)/2024/48(1)/2023, दिनांक 18 अगस्त, 2024 में उतराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023 द्वारा राज्य की राज्यधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल**

में योजित रिट याचिका संख्या– **WP-PIL 152/24 भुवन सिंह व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के अधीन रहेगा।**

xii. उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्याः–117/xxxvi(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 एवं पत्र संख्याः–172/xxxvi(3)/2025/13(1)/2025, दिनांक 28 अप्रैल, 2025 में उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 द्वारा **'कुशल खिलाड़ी'** से भारत का ऐसा नागरिक अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो या प्रतिभाग किया गया हो या राज्य स्तर पर खेलों में कोई पदक जीता गया हो और जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में हैं, परन्तु उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, अथवा जिसका मूल अधिवास उत्तराखण्ड में नहीं हैं, परन्तु उसने शासनादेश संख्या 2588/एक–4/सा.प्र./2001, दिनांक 20 नवम्बर, 2001 या तत्समय प्रवृत्त अधिवास सम्बन्धी किसी अन्य शासनादेश के अनुसार उत्तराखण्ड में स्थायी अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले अथवा राज्य स्तर पर खेलों में पदक विजेता कुशल खिलाड़ियों के पक्ष में सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, रिक्तियों में, जिन पर भर्ती की जानी है, 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निम्नवत् अनुमन्य होगाः–

क्र0 स0	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर	क्षैतिज आरक्षण
1	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–10 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
2	विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–8 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
3	कॉमनवेल्थ खेल/एशियन चैम्पियनशिप	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–7 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
4	कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप/अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग	लेवल–6 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
5	राष्ट्रीय खेल/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल/खेलो इण्डिया यूथ गेम्स	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर
6	उत्तराखण्ड ओलम्पिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित राज्य खेल/राष्ट्रीय खेल संघों से मान्यता प्राप्त राज्य खेल संघों द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप/युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ/विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय स्कूल खेल/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयी खेल	पदक विजेता	लेवल–5 एवं उससे निम्न लेवल के पदों पर

परन्तु यह कि राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत कुशल खिलाड़िओं के लिए आरक्षित पदों पर योग्य कुशल खिलाड़ी उपलब्ध न होने पर उन पदों को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

xiii. कुशल खिलाड़ियों के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों की पुष्टि संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों (भारत सरकार अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त) से कराई जायेगी तथा समान श्रेणी की वरीयता के क्रम से तात्पर्य अपनी श्रेणी से है।

xiv. ऑनलाइन आवेदन–पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण, श्रेणी/उपश्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे, पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, महिला, उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी तथा उनके आश्रित एवं उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

xv. यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा तथा आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

<u>नोटः</u>– अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट–1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट–2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(च), 3, 3(क), 3(ख) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी उक्त परिशिष्टों में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार ही अपने प्रमाण–पत्र तैयार करवायें।

15. **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने के चरणः**

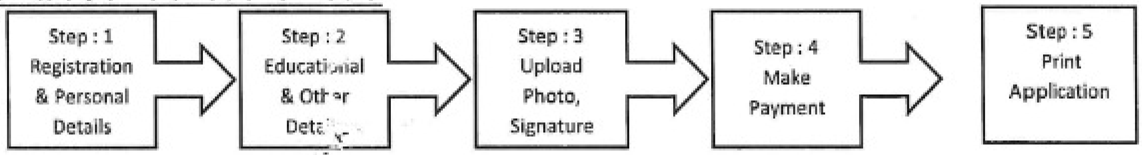

i. अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने आधार नंबर का उपयोग करना होगा। एक आधार का उपयोग एक बार ही किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी को स्वयं के मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी का उपयोग करना चाहिए।

ii. अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद सदैव अपना ई–मेल आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन रद्द समझा जायेगा एवं यू0के0एस0एस0एस0सी0 द्वारा भविष्य में करायी जाने वाली परीक्षाओं से वंचित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

iii. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में भरी गई जानकारी को अंतिम समझा जाएगा।

iv. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना पंजीकरण नंबर नोट करें, क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य के लॉग–इन के लिए आवश्यक है।

v. अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ का आयाम (150w×200H px), हस्ताक्षर का आयाम (150w×100H px) और बायोमैट्रिक पुष्टि हेतु स्पष्टतः बांए हाथ के अंगूठे का आयाम (150w×100H px) को जे0पी0जी0/जे0पी0ई0जी0 प्रारूप में अपलोड करना होगा।

vi. आवेदन–पत्र के लिए भुगतान केवल क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नैट बैंकिंग/यू0पी0आई0 से कर सकते हैं। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

vii. तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए कृपया हमें <u>chayanayog@gmail.com</u> पर ई–मेल करें।

viii. यदि अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र का शुल्क किसी तकनीकी कारण से असफल (Failed) हो जाता है या भुगतान हो जाने के बाद भी असफल (Failed) हो जाता है, तो अभ्यर्थी का कटा हुआ शुल्क शीघ्र वापस कर दिया जायेगा।

ix. अभ्यर्थी के आवेदन–पत्र को तभी पूर्ण समझा जायेगा, जब तक की अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन–पत्र के Status वाले कॉलम में Completed प्रिन्ट न लिखा हो।

x. निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ समझा जाएगा।

xi. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।

xii. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

16. शुल्कः–

अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:–

क्र0सं0	श्रेणी	शुल्क (रू0)
01	अनारक्षित (Unreserved)/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	300.00
02	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)/उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	150.00
03	उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)	150.00
04	अनाथ (ORPHAN)	00.00

17. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तों को पढ़े:–

(1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण–पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नही है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।

(2) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण एवं शैक्षिक अर्हता विषयक प्रमाण–पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

(3) अभ्यर्थी विज्ञापित पद हेतु एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन कदापि न करें, अन्यथा संबंधित पद हेतु आवेदित समस्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जायेंगे। अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि होने की दशा में अभ्यर्थी आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व अपना आवेदन निरस्त (cancel) कर, पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन निरस्त (cancel) करने पर निरस्त किये जाने वाले आवेदन के सापेक्ष जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा और नवीन आवेदन पत्र के सापेक्ष समायोजित भी नहीं किया जायेगा। गलत भरे गये आवदेन–पत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

(4) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो तथा परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता

देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा तो ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग (FIR) भी दर्ज कराया जाएगा।

(5) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा प्रारम्भिक स्तर पर ही उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आयोग द्वारा अंतिम रूप से चयन के उपरांत अभ्यर्थी की संस्तुति प्रेषित की जा चुकी हो, तो उक्त स्थिति में भी आयोग द्वारा संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(6) **लिखित परीक्षा के पश्चात अभिलेख सन्निरीक्षा परीक्षा का अनिवार्य अंग है, जिसमें सभी आरक्षण/शैक्षिक अर्हता/अधिमानी अर्हता/अनुभव संबंधी दावे/अभिलेखों की पुष्टि की जाती है। अभिलेख सन्निरीक्षा के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा। नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेख सन्निरीक्षा से संबंधित समस्त सूचनायें आयोग की वेबसाइट के अतिरिक्त पृथक अन्य किसी माध्यम से नहीं दी जायेंगी। अभिलेख सन्निरीक्षा में अनुपस्थित होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।**

(7) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऑनलाइन आवदेन–पत्र में संशोधन (Edit) का अवसर प्रदान किया जायेगा, किन्तु अभ्यर्थी को अपने नाम, माता/पिता के नाम, आयु एवं परीक्षा केन्द्र में संशोधन/परिवर्तन की अनुमति नही दी जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि के अक्षरों अथवा अंकों में आंशिक परिवर्तन कर एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरे जाते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है, इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।

(10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

(11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवा नियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी।

(12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(13) ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण–पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नही होगा। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन–पत्र में सही नाम अंकित न करने के परिणामस्वरूप जारी त्रुटिपूर्ण प्रवेश–पत्र के आधार पर अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(14) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन–पत्र, उपस्थिति सूची, अभिलेख सन्निरीक्षा के समय तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(15) प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई–मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें ताकि आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे।

(16) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

(17) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी औपबंधिक उत्तर–कुंजियों के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50/–प्रति प्रश्न की दर से अपना प्रत्यावेदन/आपत्ति ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपत्ति प्राप्त नही होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।

(18) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।

(19) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता/शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(20) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या–**168/XXXVI(3)/2023 /10(01)/2023** दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 के तत्समय लागू प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(21) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाएः–

अ0जा0	–	अनुसूचित जाति
अ0ज0जा0	–	अनुसूचित जनजाति
अ0पि0व0	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
आ0क0व0	–	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
अना0	–	अनारक्षित

(एन0 एस0 डुंगरियाल),
सचिव।

परिशिष्ट-1

परीक्षा पाठ्यक्रम

उत्तराखण्ड पशुपालन विभाग, पशुधन प्रसार अधिकारी परीक्षा की परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम

परीक्षा योजनाः– प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा–

लिखित परीक्षा–केवल एक प्रश्न पत्र सम्बन्धित विषय (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)

लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)–

विषय	कुल प्रश्नों की संख्या	पूर्णांक	समय (घण्टे)
जीव विज्ञान, कृषि एवं पशुपालन	100	100	2

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जसवन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

EXAMINATION SYLLABUS

Examination Scheme/Syllabus for Uttarakhand Animal Husbandry Department, Livestock Extension Officer Service Exam

Plan of Examination- There will be following tiers of the examinations:-

Written Exam- Only One Paper of Related Subject (Objective Type).

Written Exam (Objective Type):

Subject	Total Number of Questions	Maximum Marks	Time (Hours)
Biology, Agriculture and Animal Husbandry	100	100	2

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जसवन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

पशुधन प्रसार अधिकारी के पद हेतु पाठ्यक्रम

नोट– भाग A सभी के लिए अनिवार्य है। भाग B एवं C वैकल्पिक हैं, अभ्यर्थी को B अथवा C में से किसी एक का चयन करना है।

अधिकतम अंक 100

भाग A
(सभी के लिए अनिवार्य)

30 अंक

कोशिका जीवविज्ञानः जीवद्रव्य (जीवन का भौतिक आधार); कोशिका सिद्धांत; अकेंद्रकी (प्रोकैरियोट) और सुकेंद्रकी (यूकैरियोट) कोशिकाएँ; प्लाज्मा झिल्ली (संरचना, कार्य और मॉडल); कोशिकाद्रव्य (कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स और कोशिकांग); कोशिका कंकाल (सूक्ष्म नलिकाएँ और सूक्ष्म तंतु); तारककेन्द्र; अंतःप्रद्रव्यी जालिका; गोल्जीकाय; माइटोकॉन्ड्रिया; आत्मघाती थैली (लाइसोसोम); लवक; राइबोसोम; केंद्रक और केंद्रिका; गुणसूत्र (संरचना, आकार और रूप); कोशिका विभाजन।

जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटकः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की संरचना और वर्गीकरण।

वर्गिकीः प्रजाति की संकल्पना; नामकरण; लिनियाई पदानुक्रम; वर्गीकरण की पांच जगत प्रणाली; मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक की मुख्य विशेषताएँ और वर्गीकरण; आवृतबीजी कुल का अध्ययनः ब्रेसीकेसी, फेबेसी, कुकुर्बिटेसी, मालवेसी, सोलेनेसी और पोएसी।

पुष्पीय पौधों के विभिन्न भागों की रूपरेखा और शारीरिक संरचना (एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री): जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, फूल, फल और बीज।

पादप शरीर क्रिया विज्ञानः जल और खनिजों का अवशोषण; वाष्पोत्सर्जन; कार्बन स्वांगीकरण और प्रकाश–संश्लेषण; श्वसन (प्रकार और क्रियाविधि); इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली; पादपों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण और संग्रहण; पादप वृद्धि नियामक।

पुष्पीय पादपों में यौन प्रजननः नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास; परागण; निषेचन (दोहरा निषेचन); भ्रूणपोष और भ्रूण का विकास; बीज का विकास और फल का निर्माण; बीज प्रसार; असंगजनन (एपोमिक्सिस), अनिषेकफलन और बहुभ्रूणता।

प्रदूषणः प्रकार और नियंत्रण; प्रदूषण से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं; जैव आवर्धन; पोषक अधिभार; ओजोन परत क्षरण; ग्रीनहाउस प्रभाव और अम्लीय वर्षा; हरित क्रांति; नाइट्रोजन चक्र; मधुमक्खी पालन; रेशम उत्पादन; फसल कीट प्रबंधन; सूक्ष्मजीव और मानव कल्याण।

भाग B
जीवविज्ञान (वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान)

70 अंक

इकाई–01

जीवन की उत्पत्ति और विकासः विकासवादी सिद्धांतों का इतिहास; जैविक विकास के पक्ष में प्रमाण; पुनरावृति परिकल्पना; लैमार्कवाद; विभिन्नताएँ; डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत;

वीसमान का जर्मप्लाज्म सिद्धांत; विकास का आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत; डी व्रीस का उत्परिवर्तन सिद्धांत; जीन प्रवाह; आनुवंशिक विचलन; हार्डी–वीनबर्ग सिद्धांत।

अनुकूलनः पौधों का जल (जलोद्भिद, मरूद्भिद), प्रकाश (छायाप्रिय और प्रकाशप्रिय) और तापमान के संबंध में अनुकूलन; जंतुओं का अनुकूलन (स्थलीय, धावक, आरोही, उड़नशील, जलीय, खनन, आदि)।

अनुकूली विकिरणः जीवाश्मीकरण (पौधों और जंतुओं के जीवाश्म); मानव विकास।

इकाई–02

कोशिका विज्ञानः प्रकाश एवं फेज कॉन्ट्रास्ट सूक्ष्मदर्शिकी, कन्फोकल एवं इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी (टी0ई0एम0 और एस0ई0एम0); प्लाज्मा झिल्ली (संरचना, कार्य एवं मॉडल); कोशिका द्रव्य (कोशिका द्रव्य मैट्रिक्स और कोशिका द्रव्य अंग); कोशिका कंकाल (सूक्ष्म नलिकाएँ और सूक्ष्म तंतु); तारक केन्द्र; अन्तः प्रदव्ययी जलिका; गोल्जीकाय; माइटोकॉन्ड्रिया; आत्मघाती थैली (लाइसोसोम); लवक; राइबोसोम; केन्द्रक एवं केन्द्रिका; गुणसूत्र (संरचना, आकार एवं आकृति); न्यूक्लिओसोम मॉडल; सुकेन्द्रकी (यूकेरियोटिक) गुणसूत्रः संरचना, संघटन, कैरियोटाइप विश्लेषण; पॉलीटीन और लैम्पब्रश गुणसूत्रों की संरचना एवं कार्य; कोशिका विभाजन।

जीवित कोशिकाओं के रासायनिक घटकः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की संरचना एवं वर्गीकरण।

आनुवंशिक पदार्थः डी0एन0ए0 और डी0एन0ए0 के प्रकार; डी0एन0ए0 प्रतिकृति; आर0एन0ए0 और इसके प्रकार।

आनुवंशिकीः मेंडल के वंशानुक्रम के नियम; बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस; अपूर्ण प्रभाविता; सहप्रभाविता; बहुगुणित युग्मविकल्पी और रक्तसमूहों की आनुवंशिकता; लिंग निर्धारण (मनुष्य, पक्षी और मधुमक्खी)।

मानव आनुवंशिकीः वंशावली विश्लेषण; लिंग–संबद्ध आनुवंशिकता जैसे हीमोफीलिया, वर्णान्धता; मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकारः डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम; थैलेसीमिया।

सहलग्नताः अवधारणा और इतिहास, पूर्ण और अपूर्ण सहलग्नता।

जीन विनिमयः अवधारणा और महत्व, जीन विनिमय का कोशिका संबंधी प्रमाण; उत्परिवर्तन के प्रकार; भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तकों के प्रभाव; गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन सुगुणिता (यूप्लोइडी), बहुगुणिता (पॉलीप्लोइडी) और असगुणिता (एन्यूप्लोइडी); गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन (विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रमण और स्थानान्तरण)।

एंजाइम और वर्गीकरणः एंजाइम क्रियाविधि; गतिकी, अवरोधन और नियमन; एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक।

पादप एवं जंतु ऊतक तंत्रः उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशी ऊतक।
मूल एवं तना शीर्ष विभज्योतक; सरल, जटिल एवं स्रावी ऊतक; मूल शीर्षस्थ विभज्योतक (आर0ए0एम0) और तना शीर्षस्थ विभज्योतक (एस0ए0एम0) सिद्धांत; जड़–तना संक्रमण; संवहनी ऊतक एवं द्वितीयक वृद्धि; असामान्य या विसंगत द्वितीयक वृद्धि।

इकाई–03

वर्गिकी: प्रजाति की अवधारणा, जैविक प्रजाति अवधारणा, प्रजाति निर्माण विधि भिन्नस्थानिक (एलोपैट्रिक) एवं, समस्थानिक (सिम्पैट्रिक), नामकरण; लिनियन पदानुक्रम; वर्गीकरण की पंच जगत प्रणाली; मोनेरा; प्रोटिस्टा और कवक की प्रमुख विशेषताएं और वर्गीकरण; लाइकेन, विषाणु, वायरोइड और प्रीओन्स।

कवक, जीवाणु, शैवाल, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म की सामान्य विशेषताएं, आवास, पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व।

विषाणु: खोज, सामान्य संरचना, प्रतिकृति (सामान्य विवरण), लायटिक और लाइसोजेनिक चक्र, डीएनए विषाणु, आरएनए विषाणु।

जीवाणु: खोज, सामान्य विशेषताएं, कोशिका संरचना, प्रजनन– कायिक, अलैंगिक और पुनर्संयोजन (संयुग्मन, रूपांतरण और पराक्रमण)।

कवक: कायिक सुकाय संगठन की श्रेणी, कोशिका भित्ति संरचना, पोषण, प्रजनन और कवक का वर्गीकरण; *एल्बुगो* (मैस्टिगोमायकोटा), *राइजोपस* (जाइगोमायकोटा), *पेनिसिलियम* (एस्कोमायकोटा), *पक्सिनिआ, एगैरिकस* (बेसिडियोमायकोटा); *अल्टरनेरिया* (ड्यूटेरोमायकोटा) का जीवन चक्र; लाइकेन और माइकोराइजा का सामान्य विवरण।

शैवाल: सुकाय संगठन की श्रेणी, शैवाल प्रजनन और वर्गीकरण; *नोस्टॉक, क्लेमाइडोमोनस, वोल्वॉक्स, ओडोगोनियम, कारा* और *सार्गासम* की संरचना और जीवन चक्र ।

ब्रायोफाइटा: *रिक्सिया, मार्कशिया, एंथोसेरोस* और *फ्यूनेरिया* का वर्गीकरण, आकारिकी, शारीरिकी और प्रजनन।

टेरिडोफाइटा: *सेलाजिनेला, इक्विसेटम* और *टेरिस* का वर्गीकरण, आकारिकी, शारीरिकी और प्रजनन; विषमबीजाणुकता, रम्भ विकास, टिलोम सिद्धांत।

जिम्नोस्पर्म: *साइकस, पाइनस* और *एफेड्रा* का वर्गीकरण, आकारिकी, शारीरिकी और प्रजनन।

इकाई–04

एंजियोस्पर्म: वर्गीकरण के प्रकार– कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्तीय; बेंथम और हुकर का वर्गीकरण, हचिंसन का वर्गीकरण, पुष्पीय पौधों (द्विबीजपत्रीय और एकबीजपत्रीय) के विभिन्न भागों की आकारिकी और शारीरिकी: जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम एवं पुष्प।

कुल: रैनुनकुलेसी, मालवेसी, ब्रैसिकेसी, फैबेसी, मेलिएसी, एपिएसी, रोजेसी, रूटेसी, लैमिएसी, सोलेनेसी, एस्टेरेसी, यूफोर्बिएसी, लिलिएसी और पोएसी के वर्गिकीय, पुष्पीय एवं विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व।

परागण: परागकोष और परागकण की संरचना, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, बीजाण्ड के प्रकार, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष, दोहरा निषेचन, भ्रूण पोष के प्रकार, द्विबीजपत्रीय और एकबीजपत्रीय भ्रूण।

फल और बीज।

पादप कार्यिकी: पौधों में जल संवहन, वाष्पोत्सर्जन, बिन्दुस्त्राव, खनिज पोषण (वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्त्व)।

प्रकाश संश्लेषण: प्रकाष संश्लेषण वर्णक (पर्णहरिम ए, बी, जैंथोफिल, कैरोटीन), प्रकाश कर्म I और II, इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली और ए0टी0पी0 संश्लेषण की प्रक्रिया, कार्बन स्थिरीकरण के C3, C4 और CAM मार्ग, प्रकाश–श्वसन।

श्वसन: ग्लाइकोलिसिस, अनॉक्सी श्वसन, टी0सी0ए0 चक्र, ऑक्सीकरणी फॉस्फोरिलीकरण।

पादप वृद्वि नियमाक: ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एवं इथाईलीन की खोज और शारीरिक कार्यिकी भूमिका; दीप्तिकालिता और बसन्तीकरण।

इकाई–05

अकशेरुकी: संघ के सामान्य लक्षण और वर्ग तक वर्गीकरण।

प्रोटोजोआ: संरचना, प्रचलन, पोषण और प्रजनन के संदर्भ में *अमीबा, यूग्लिना* और *पैरामीशियम* का अध्ययन; *एंटअमीबा हिस्टोलिटिका, प्लास्मोडियम वाईवैक्स, लीशमानिया डोनोवनी* और *ट्रिपैनोसोमा गैम्बिएंस* का जीवन चक्र और रोगजनकता।

मेटाजोआ: पोरिफेरा–संरचना और प्रजनन के संदर्भ में *साइकॉन* का अध्ययन; स्पंज में नाल तंत्र और कंकाल।

सीलेंट्रेटा: संरचना और प्रजनन के संदर्भ में *ऑरेलिया* का अध्ययन; सीलेंट्रेटा में पीढ़ी एकान्तरण; प्रवाल और प्रवाल भित्ति।

हेल्मिंथीज: संरचना, प्रजनन और परजीवी अनुकूलन के संदर्भ में *टीनिया* और *एस्केरिस* का अध्ययन; *शिस्टोसोमा हिमेटोबियम* और *वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी* का जीवन चक्र और रोगजनकता।

एनेलिडा: देहगुहा के प्रकार और महत्व; मध्यावयवता; संरचना और प्रजनन के संदर्भ में *नेरीस* और *हिरुडिनेरिया* का अध्ययन; *हिरुडिनेरिया* का परजीवी अनुकूलन; *ट्रोकोफोर का* डिंभक और इसका महत्व।

आथ्रीपोडा: संरचना, श्वसन, उत्सर्जन और प्रजनन के संदर्भ में *पैलेमोन* का अध्ययन; *पेरिपेटस* और *लिमुलस* का प्राणी विज्ञान संबंधी महत्व; *एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज, जेनोप्सिला चेओपिस, फ्लेबोटोमस अर्जेंटिप्स* का का जीवन चक्र, रोगजनकता और नियंत्रण।

मोलस्का: संरचना, श्वसन, प्रजनन के संदर्भ में *पायला* और *यूनियो* का अध्ययन; घुमाव (टॉर्शन); मोती बनना।

इकाइनोडर्मेटा: संरचना, प्रचलन, जल संवहन तंत्र, भोजन ग्रहण करने की तकनीक और प्रजनन के संदर्भ में *एस्टेरियस* का अध्ययन।

इकाई–06

कशेरुकी संघ के सामान्य लक्षण और वर्ग तक वर्गीकरण।

हेमीकॉर्डेटा: सामान्य लक्षण, वर्गीकरण और सम्बद्धता; *बैलेनोग्लोसस:* संरचना शारीरिकी और विकास।

यूरोकॉर्डेटाः सामान्य लक्षण और वर्गीकरण; *हर्डमेनियाः* संरचना,रुधिर परिसंचरण प्रणाली, तत्रिंका ग्रन्थि संकुल के अंग, प्रजनन तंत्र, विकास और प्रतिगामी कायांतरण।
सेफालोकॉर्डेटाः सामान्य लक्षण; *ब्रांकिओस्टोमा (एम्फिऑक्सस)*: संरचना, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, प्रजनन तंत्र और विकास।
साइक्लोस्टोमेटाः सामान्य लक्षण और वर्गीकरण; *पेट्रोमाइजन* (लैम्प्रे) और *मिक्सिन* (हैगफिश) के वाह्य लक्षण और तुलनात्मक अध्ययन।
मत्स्यः उपास्थिल और अस्थिल मछलियों के सामान्य लक्षण; *स्कोलियोडॉन* का अध्ययन।
डिप्नोईः वितरण, सामान्य लक्षण, वर्गीकरण और सम्बद्धता; मछलियों में शल्क, पिच्छ और सहायक श्वसन अंग।
उभयचरः सामान्य लक्षण और वर्गीकरण; पैत्रिक रक्षण।
सरीसृपः *चेलोनिआ* और *रिन्कोसेफालिआ* के सामान्य लक्षण और वितरण; ओफिडिया; विषैले और विष हीन सर्प; सर्पों में सर्पदंश विधि; विष और प्रतिविष; क्रोकोडिलिया।
पक्षीः सामान्य लक्षण; कोलंबा की संरचना, श्वसन, पाचन एवं मूत्र जनन तंत्र; पक्षियों में पिच्छ और वायवीय अनुकूलन।
स्तनधारीः सामान्य संगठन; प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया के सामान्य लक्षण एवं वितरण।

इकाई–07

चयापचयः कार्बोहाइड्रेट (ग्लाइकोलिसिस एवं ग्लाइकोजेनेसिस), प्रोटीन (ट्रांसएमिनेशन, डिएमिनेशन, यूरिया चक्र) और वसा (वसा अम्ल का बीटा–ऑक्सीकरण)।
कंकाल तंत्रः जंतुओं में इसका कार्य; सन्धि; कंकाल पेशी की अतिसूक्ष्म संरचना; पेशी संकुचन का आणविक एवं रासायनिक आधार; पेशी एवं कंकाल तंत्र की विकार (मायस्थेनिया ग्रेविस, टेटनी, मांसपेशी अपविकास, गठिया; अस्थि सुषिरता, वातरक्त (गाउट)।
पाचन तंत्रः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पाचन एवं अवशोषण; जुगाली करने वाले जंतुओं का आमाशय।
कशेरुकी श्वसनः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन एवं नियमन; श्वसन से जुड़े विकारः अस्थमा, एम्फाइजिमा, व्यावसायिक श्वसन विकार।
परिसंचरण तंत्र (खुला एवं बंद): रक्त एवं लसिका; रक्त का थक्का जमना; कशेरुकी जंतुओं के हृदय का तुलनात्मक शारीरिक अध्ययन; हृदय स्पंदन का प्रारम्भ एवं संवहन; हृदय चक्र; हृदयी निर्गम (कार्डियक आउटपुट); ई0सी0जी0; परिसंचरण तंत्र विकार (उच्च रक्तचाप, कोरोनरी धमनी रोग, एनजाइना पेक्टोरिस)।
उत्सर्जन तंत्रः विधियां (अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म); वृक्क और मूत्र निर्माण; परासरण नियमन; वृक्क कार्य नियमन (रेनिन–एंजियोटेंसिन, एट्रियल नैट्रियूरेटिक कारक, ए0डी0एच0 एवं डायबिटीज इन्सिपिडस; यूरेमिया; रीनल कैलकुली; नेफ्रैटिस; रक्त शोधन (डायलिसिस)।

अंतःस्रावी तंत्रः ग्रंथियाँ एवं हॉर्मोन्स; हॉर्मोन क्रियाविधि; विभिन्न हॉर्मोनों के अत्यधिक और अल्प स्रावी के प्रभाव; तापनियमन; फेरोमोन्स।

तंत्रिका तंत्रः केन्द्रीय (सी0एन0एस0) और परिधीय (पी0एन0एस0) तंत्रिका तंत्र; स्वायत्त तंत्रिका तंत्र (ए0एन0एस0); तंत्रिका आवेग उत्पत्ति एवं संचरण; प्रतिवर्तन एवं प्रतिवर्ती क्रियाएं।

प्रजनन तंत्रः नर तथा मादा जनन तंत्र स्तनीय जंतु (मैमेलिया); युग्मक जनन; रज चक्र; निषेचन।

इकाई–08

भ्रूण विज्ञानः अंडों और विदलन के प्रकार; प्राथमिक आयोजक की मूलभूत अवधारणा; प्रेरण, प्रकृति और इसकी कार्यप्रणाली; पूर्ण सशक्तता (टोटिपोटेंसी); टेराटोजेनेसिस; *ड्रोसोफिला* में जीन्स का भिन्न अभिव्यक्ति; फेट मैप (मेंढक के ब्लास्टुला का फेट मैप); जनन स्तरों का भविष्य; आकारिकीय गतियों (मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स) के प्रकार; मेंढक, चूजे और स्तनधारी में गैस्ट्रुलेशन; मेंढक में कायान्तरण घटनाओं पर हार्मोनों का नियमन; अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां (चूजा); चूजे के एम्ब्रियो का 72 घंटे तक विकास; स्तनधारी में अपरा के प्रकार।

प्राणी व्यवहारः इतिहास और शब्दावली; दिशात्मक और गैरदिशात्मक (टैक्सिस और काइनेसिस); सहजवृत्ति; सीखने का व्यवहार (स्थानिक अधिगम, साहचर्य अधिगम, चिरप्रतिष्ठित अनुकूलन, क्रियाप्रसूत अनुबंधन); इम्प्रिंटिंग; जैविक लय और जैविक घड़ी; संचार [दृश्य, घ्राण, ध्वनि (पक्षी गीत, उभयचर ध्वनियाँ)]; चमगादड़ों में प्रतिध्वनि स्थान निर्धारण; जंतुओं में सामाजिक व्यवहार और सामाजिक समूहीकरण के तत्व; व्यवहार का तंत्रिका और हार्मोन नियमन।

आर्थिक वनस्पति विज्ञानः मानव कल्याण में पादपों की भूमिका; वनों का उपयोग एवं वाणिज्यिक महत्व; फल और नट्स; आवश्यक अनाज, दालें, सब्जियां, रेशेदार, तेल, मसाले, जड़ीबूटी पौधे; टिम्बर और काष्ठ।

आर्थिक प्राणी विज्ञानः पशुपालन— मवेशी और मवेशियों की नस्लें; मवेशियों में कृत्रिम गर्भाधान; कुक्कुट पालन और कुक्कुट की नस्लें; प्रजनन स्टॉक और ब्रॉयलर की तकनीकी प्रबंधन; अंडों की प्रसंस्करण और संरक्षण; मत्स्य पालनः इंडियन मेजर कार्प और चाइनीज कार्प; मिश्रिम मछली पालन; प्रेरित प्रजनन और मछली के बीज का परिवहन; रेशमपालन और मधुमक्खी पालन; घरेलू कीट और फसलों के कीट; कीट नियत्रंण; एकीकृत कीट प्रबंधन।

इकाई–09

भूजैवरासायनिक चक्रः जल, कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस चक्र; अजैविक और जैविक कारक; नाइट्रोजन स्थिरीकरण।

पारिस्थितिकी तंत्रः प्रकार, पोषण स्तर और ऊर्जा प्रवाह; खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला; पारिस्थितिक पिरामिड; वनस्पति समुदाय— विशिष्टताएं, वनस्पति उत्तरक्रम।

जनसंख्या आकलनः जनसंख्या घनत्व, जन्मदर, प्रजनन दर और मृत्यु दर; आयु वितरण; पारस्परिक क्रियाएं (पारस्परिक लाभकारी, प्रतिस्पर्धा, शिकारी संबंध और परजीवी संबंध)।

जैवविविधताः विचारधारा; इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण; हॉटस्पॉट; रामसर क्षेत्र; वनस्पति उद्यान, वनस्पति संग्रहालय, प्राणी उद्यान और संग्रहालय; वन्यजीव संरक्षण में संलग्न राष्ट्रीय संगठन; भारत के महत्वपूर्ण वन्य जीव (उत्तराखंड के सन्दर्भ में); वन्यजीव विधि– वन्यजीव संरक्षण अधिनियम– 1972, CITES, IUCN, रेड और ग्रीन डेटा बुक; संरक्षित क्षेत्रः भारत के राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जैव मण्डलीय आरक्षित क्षेत्र; भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र।

प्रदूषणः प्रकार और नियंत्रण; प्रदूषण से सम्बंधित स्वास्थ्य समस्याएं; पोषक अधिभार; जैव आवर्धन; ओजोन परत क्षरण; ग्रीन हाउस प्रभाव एवं अम्लीय वर्षा।

इकाई–10

जैव प्रौद्योगिकीः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में न्यूक्लिक अम्ल; जीनोम और उसका संगठन– जीन; कूटन अनुक्रम (कोडिंग सीक्वेंस), नियामक अनुक्रम (रेगुलेटरी सीक्वेंस), इंट्रॉन, एक्सॉन, आनुवंशिक कूट, जीन नियंत्रण के सिद्धांत, जीन अभिव्यक्ति का नियमन।

पुनर्संयोजित डी0एन0ए0 (रिकॉम्बिनेंट डी0एन0ए0) तकनीकी; ब्लॉटिंग तकनीकी; क्लोनिंग– क्लोनिंग वेक्टर; सी–डी0एन0ए0 और क्लोनिंग; सी–डी0एन0ए0 लाइब्रेरी; डी0एन0ए0 और आर0एन0ए0 पॉलीमरेज; रेस्ट्रिक्शन एंजाइम; पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफोरेसिस; डी0एन0ए0 फिंगरप्रिंटिंग।

पादप ऊतक संवर्धनः टोटिपोटेंसी; अविभेदित ऊतक संवर्धन (कैलस कल्चर)।

पादप प्रजनन विधियांः संकरण और उत्परिवर्तन प्रजनन; संकर शक्ति (हाइब्रिड विगर); पादप प्रजनन क्षेत्र के अग्रणी संस्थान।

जैव सांख्यिकीः नमूनाकरण तकनीक, असमूहित तथा समूहित आंकड़ों का प्रस्तुतीकरण; केंद्रीय प्रवृत्तियों का माप– माध्य, बहुलक एवं मध्यिका; विचलन, माध्य विचलन, विचरण, मानक विचलन का मापन।

भाग C

(कृषि और पशुपालन)

70 अंक

इकाई–01

राष्ट्रीय एवं उत्तराखण्ड राज्य अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व; फसलों का वर्गीकरण; फसल उत्पादन के सिद्धांत; प्रमुख फसलों की वैज्ञानिक खेती की विधि– अनाज वाली फसलेंः धान, मक्का, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा एवं रागी; तिलहनी फसलेंः राई और सरसों, अलसी, सूरजमुखी, सोयाबीन, मूंगफली एवं तिल; दलहनी फसलेंः चना, मटर, मसूर, राजमा, अरहर, मूंग, उड़द एवं ग्वार; चारे वाली फसलेंः जई, बरसीम, ल्यूसर्न एवं लोबिया; नकदी फसलेंः गन्ना; रेशेदार फसलेंः जूट एवं कपास; हरी खाद वाली फसलेंः ढेंचा एवं सनई; पौधों की संख्या, बीज दर एवं उर्वरकों की गणना; खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत एवं विधियाँ; शाकनाशियों का वर्गीकरण; एलीलोपैथी; सिंचाईः सिंचाई के स्रोत, सिंचाई की विभिन्न विधियाँ, जल उपयोग

दक्षता, जल भराव की स्थितियां, फसलों की जल आवश्यकता, जल मापन, निर्वहन, जल की हानि की रोकथाम, अतिरिक्त नमी के नुकसान, जल निकासी; कृषि प्रणालियाँ; सतत् कृषि; परिशुद्ध खेती; वर्षा आधारित कृषि एवं जलग्रहण प्रबंधन; जैविक एवं प्राकृतिक खेती: सिद्धांत एवं संभावनाएं, उर्वरक प्रबंधन, पौध संरक्षण उपाय, जैविक उर्वरक, मानक एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया; राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कृषि संस्थान; कृषि वानिकी प्रणालियाँ; कृषि में भारतीय पारंपरिक ज्ञान; उत्तराखंड में कृषि की सामान्य जानकारी।

इकाई–02

राष्ट्रीय एवं उत्तराखण्ड राज्य अर्थव्यवस्था में बागवानी का महत्व; बागवानी फसलों का वर्गीकरण; प्रमुख बागवानी फसलों की खेती की विधियाँ–. फलों की फसलें: आम, केला, लीची, अंगूर, पपीता, अमरूद, सेब, आड़ू, नाशपाती, आलूबुखारा, खुबानी, अनार, चीकू, शरीफा, कटहल, स्ट्रॉबेरी; सब्जियों की फसलें: आलू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, मटर, कद्दूवर्गीय फसलें, फूलगोभी, पत्तागोभी, ब्रोकली, शकरकंद, मूली, गाजर, प्याज, लहसुन, फ्रेंच बीन, अदरक, हल्दी, मेथी, धनिया, पालक; फूलों की फसलें: गुलाब, ग्लेडियोलस, गेंदा, लिलियम, गुलदाउदी, कारनेशन, जरबेरा, रजनीगंधा; औषधीय एवं सुगंधित फसलें: अश्वगंधा, सर्पगंधा, एलोवेरा, इसबगोल, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पुदीना, खस, पामारोजा; बागानी फसलें: चाय, कॉफी, काजू, रबर एवं नारियल; पौध संवर्द्धन; पौध वृद्धि नियामक; कटाई एवं छंटाई; अफलन; परागण; अनिषेकफलन; बाग स्थापना एवं प्रबंधन; संरक्षित खेती; पौधशाला प्रबंधन; उच्च घनत्व रोपण; जल संवर्धन (हाइड्रोपोनिक्स); मशरूम उत्पादन; बागवानी फसलों एवं उनके उत्पादन का तुड़ाई के पूर्व एवं उपरांत प्रबंधन; भू–निर्माण के सिद्धांत एवं घटक; उद्यानों के प्रकार; पुष्प सज्जा;उत्तराखंड में उद्यानिकी की सामान्य जानकारी।

इकाई–03

मृदा– उत्पत्ति एवं वर्गीकरण, मृदा परिच्छेदिका, मृदा संघटन, मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण, चट्टानें, खनिज और उनका वर्गीकरण, अपक्षय प्रक्रियाएं, मृदा निर्माण कारक, मृदा कोलोइड और उनका वर्गीकरण; मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं सूक्ष्मजीवी: मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता; मृदा उर्वरता का इतिहास, मृदा उर्वरता का मूल्यांकन; नाइट्रोजन, कार्बन एवं फॉस्फोरस चक्र; आवश्यक पादप पोषक तत्व (स्थूल एवं सूक्ष्म)– कमी, विषाक्तता के लक्षण एवं उपलब्धता; मृदा कार्बनिक पदार्थ; खाद एवं उर्वरकों का वर्गीकरण, संघटन एवं गुण, उर्वरक अनुप्रयोग के सिद्धांत एवं विधियाँ; मृदा जल: अवधारण, गति एवं उपलब्धता; मृदा तापमान; मृदा प्रदूषण; समस्याग्रस्त मृदाएँ, उनका वर्गीकरण एवं प्रबंधन; भूमि उपयुक्तता वर्गीकरण; मृदा अपरदन: प्रकार एवं संरक्षण तकनीकिया; उर्वरक नियंत्रण आदेश; मृदा से पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन; पोषक तत्व उपयोग दक्षता; मृदा परीक्षण; एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन; कृषि–जलवायु एवं कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्र; पृथ्वी का वायुमंडल और उसका संघटन; वायुमंडलीय मौसम घटक; मौसम पूर्वानुमान के प्रकार एवं उनके उपयोग;

जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग; भू–सूचना विज्ञान एवं सुदूर संवेदन; उत्तराखंड की मृदा की सामान्य जानकारी।

इकाई–04

पौधों के रोग और रोगजनक का वर्गीकरण; जैविक और अजैविक कारकों से होने वाले रोग; खाद्यान्न एवं औद्यानिक फसलों के प्रमुख रोग और उनका प्रबंधन; फसल कटाई उपरांत रोग प्रबंधन; पादप रोग कारणिकी; रोग लक्षण विज्ञान; पौधों में रोगजनकों के विरुद्ध रक्षातंत्र; रोग विकास को प्रभावित करने वाले कारक; कीटों का वर्गीकरण; कीटों की आकारिकी एवं संरचना; कीटों के संक्रमण के लिए उत्तरदायी जैविक एवं अजैविक घटक; भण्डारण कीट एवं उनका प्रबंधन; कीट एवं रोग प्रबंधन की विभिन्न विधियाँ; कीटनाशकों का वर्गीकरण एवं उनकी क्रियाविधि; जैविक कीटनाशक; रोग एवं कीटों का पूर्वानुमान; आर्थिक सीमा स्तर; कीटनाशक के प्रयोग में सावधानियाँ; कीटनाशक अधिनियम; पादप संगरोध कानून; कृषि सूक्ष्म जैविकी; लाभकारी कीट।

इकाई–05

मेंडल के अनुवांशिकता के नियम; गुणसूत्र की संरचना; गुणसूत्र विपथन, कोशिका चक्र; समसूत्रीय एवं अर्धसूत्रीय विभाजन; सहलग्नता एवं क्रॉसिंग ओवर के प्रकार एवं महत्व; लिंग गुणसूत्र एवं इसका निर्धारण, लिंग–सहलग्न लक्षण; आनुवंशिक कूट; न्यूक्लिक अम्ल; आनुवंशिक पदार्थ संरचना एवं जीन अंतःक्रिया; प्रतिकृति; अनुलेखन; अनुवादन; वंशानुक्रम का गुणसूत्रीय सिद्धांत; उत्परिवर्तन–सहज और प्रेरित; पौधों में प्रजनन की विधियाँ; परागण विधियाँ; नर बाध्यंता; स्व–अनिषेच्यता; पादप अनुवांशिकी संसाधन; फसल उत्पत्ति के केन्द्र; फसल सुधार के लिए पारंपरिक एवं गैर–पारंपरिक प्रजनन विधियाँ; जैविक तथा अजैविक तनाव के लिए प्रजनन विधि; जैव संवर्द्धित किस्में; जलवायु प्रतिरोधी किस्में; जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में उपयोग; कृत्रिम बीज; बीज एवं इसकी विशेषताएः बीजों के वर्ग, बीज प्रमाणीकरण, बीज उत्पादन तकनीक, बीज प्रसंस्करण, बीज गुणवत्ता एवं परीक्षण, बीज उपचार, बीज भण्डारण एवं बीज विपणन; बीज अधिनियम–1966, बीज नियंत्रण आदेश–1983; पौध किस्मों का संरक्षण एवं किसान अधिकार अधिनियम–2001; बौद्धिक संपदा अधिकार; भौगोलिक संकेतक (जी0आई0) टैग।

इकाई–06

पादप कोशिका; रंध्र; विसरण; परासरण; जल और पोषक तत्वों का अवशोषण; वाष्पोत्सर्जन; श्वसन; प्रकाश संश्लेषण; पादप वृद्धि नियामक; दीप्तिकालिता; वंसतीकरण; सुसुप्तावस्था; जल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिजों के कार्य; खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के सिद्धांत और विधियाँ; खाद्य और पोषण; पोषण संबंधी विकार; कुपोषण; ऊर्जा चयापचय; संतुलित आहार; प्राकृतिक संसाधन; पारिस्थितिकीय तंत्र; जैव विविधता एवं उसका संरक्षण; पर्यावरण प्रदूषण; प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदा प्रबंधन।

इकाई–07

राष्ट्रीय एवं उत्तराखण्ड राज्य अर्थव्यवस्था में पशुधन की भूमिका; पशुधन उत्पादन से जुड़ी शब्दावली; गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुक्कुट एवं शूकर की मुख्य नस्लें; रोमंथी एवं अरोमंथी पशुओं का पाचन तथा प्रजनन तंत्र; मवेशियों एवं कुक्कुट की देखभाल तथा प्रबंधन; विभिन्न प्रकार के पशुधन और कुक्कुट को खिलाने के सिद्धांत; पशुधन आवास एवं प्रबंधन; मवेशियों एवं कुक्कुट में रोगों का प्रबंधन; पशुओं की पहचान की विधियाँ; पशु प्रजनन की विधियां;कृत्रिम गर्भाधान; बधिया करण; सामान्य चारा; पशु आहार और राशन का वर्गीकरण; राशन के घटक; चारे का भण्डारण; ऑपरेशन फ्लड; दूध–भौतिक एवं रासायनिक गुण; दूध में मिलावट; दूध एवं कोलोस्ट्रम का संघटन; निस्पदंन के लिए दुग्ध प्रसंस्करण; दुग्ध शुद्धिकरण; बैक्टोफ्यूगेशन, मानकीकरण, समरूपीकरण; क्रीम अलग करना एवं अपकेन्द्रण; देसी दूध उत्पादों का प्रसंस्करण एवं संचरनाः पनीर, छेना, घी, खोआ, दही एवं श्रीखंड तथा अन्य दुग्ध उत्पादः क्रीम, मक्खन, आइसक्रीम, कंडेंस्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, चीज़।

इकाई–08

कृषि अर्थशास्त्रः समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र, देश में कृषि योजना एवं विकास, मांग, मांग की लोच, उत्पत्ति के नियम, लागत, आपूर्ति, मूल्य, राष्ट्रीय आय, बैंकिंग, कर, आर्थिक प्रणाली, सापेक्ष मूल्य एवं जीवन स्तर, जोत का आकार; कृषि वित्त एवं इसके स्त्रोत; सूक्ष्म–वित्त; कृषि ऋण एवं विश्लेषण; एस0डब्ल्यू0ओ0टी0 विश्लेषण; भारत में सहकारी समितियाँ एवं उनका विकास; सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए चलायी जा रही परियोजनायें; फसल बीमा; कृषि विपणन; कृषि बाजार का वर्गीकरण एवं विशेषतायें; कृषि वस्तुएं; कृषि उपज की मांग एवं आपूर्ति; कृषि विपणन में सरकारी एवं सार्वजनिक संस्थायें; कृषि मूल्य नीतियाँ; कृषि व्यापार; कृषि प्रबंधन के सिद्धांत; कृषि व्यवसाय विश्लेषण; उत्पादनः कारक एवं उनका प्रबंधन (भूमि, श्रम, पूंजी), उत्पादन कारकों के गुण; गहन एवं व्यापाक कृषि; पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि का स्थान; भारत में कृषि शिक्षा का विस्तार, विस्तार कार्यक्रम योजनाएं एवं विस्तार प्रणालियाँ।

इकाई–09

कृषि ऊर्जा की स्थिति, स्त्रोत एवं उनके कार्य सिद्धांत; आई0सी0 इंजनों की विभिन्न प्रणालियाँ; बिजली संचरण प्रणाली; ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड सह उर्वरक ड्रिल, पावर टिलर, पावर वीडर, प्राथमिक एवं द्वितीय जुताई उपकरण; पर्वतीय कृषि उपकरण, पादप संरक्षण, कटाई एवं मंडाई उपकरण, पम्प, जल उठाने के उपकरण; निर्वहन; कमांड क्षेत्र; सीड ड्रिल मापांकन; नवीकरणीय ऊर्जा एवं कृषि में इसका उपयोग।

<u>इकाई–10</u>

केन्द्रीय प्रवृत्ति की मापें (समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक); गुणोत्तर माध्य; हरात्मक माध्य; अपकिरण की मापें (विस्तार, चतुर्थक विचलन, परसरण, मानक विचलन, विचलन गुणांक); सह–संबंध एवं प्रतिगमन; विषमता एवं पृथुशीर्षत्व; कम्प्यूटर का परिचय, ऑपरेटिंग सिस्टम, ई–कृषि एवं कृषि में उपयोगी कम्प्यूटर मॉडल।

नोटः उपरोक्त सभी इकाइयों में हुई वैज्ञानिक प्रगति का समसामयिक सामान्य ज्ञान भी इसमें सम्मिलित माना जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जसवन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4
उत्तराखण्ड शासन

SYLLABUS FOR THE POST OF PASHUDHAN PRASAR ADHIKARI

Note-Part A is compulsory for all. Part B and C are optional and the candidate has to attempt any one of B or C.

MM- 100

Part A
(Compulsory for all)

30 Marks

Cell Biology: Protoplasm (physical basis of life); Cell theory; Prokaryotic and Eukaryotic cells; Plasma Membrane (structure, function and models); Cytoplasm (Cytoplasmic matrix and cytoplasmic organelles); Cytoskeleton (Microtubules and Microfilaments); Centrioles; Endoplasmic reticulum; Golgi complex; Mitochondria; Lysosomes; Plastids; Ribosomes; Nucleus and Nucleolus; Chromosomes (structure, size and shape); Cell division.
Chemical constituent of living cells: Structure and classification of Proteins, Carbohydrates and Lipids.
Taxonomy: Concept of species; Nomenclature; Linnaean Hierarchy; Five kingdom system of classification; Salient features and classification of Monera; Protista and Fungi; Lichens; Viruses and Viroids.
Study of Angiosperm families: Brassicaceae, Fabaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, Solanaceae and Poaceae.
Morphology and anatomy of different parts of flowering plants (Dicots and Monocots): Root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed.
Plant Physiology: Absorption of water and minerals; Transpiration; Carbon assimilation and photosynthesis; Respiration (kinds and mechanism); Electron Transfer System; Translocation and storage of food materials in plants; Plant growth regulators.
Sexual reproduction in flowering plants: Development of male and female gametophytes; Pollination; Fertilization (double fertilization); Development of endosperm and embryo; Development of seed and formation of fruit; Seed dispersal; Apomixis; Parthenocarpy; polyembryony.
Pollution (Types and control): Pollution associated health hazards; Eutrophication; Biomagnification; Ozone Layer depletion; Green House effect; Acid Rain; Green revolution; Nitrogen cycle; Apiculture; Sericulture; Crop pests and management;
Microbes and Human welfare.

Part B
Biology (Botany and Zoology)

70 Marks

UNIT – I

Origin of life and evolution: History of Evolutionary theories; Evidences in favour of organic evolution; Recapitulation hypothesis; Lamarckism; Variations; Darwin's theory of Natural Selection; Weismann's germplasm theory; Modern synthetic theory of evolution; Mutation theory of De Vries; Gene flow; Genetic drift; Hardy-Weinberg Principle.
Adaptations: Plant adaptation in relation to water (Hydrophytes and xerophytes); light (Sciophytes and heliophytes) and temperature; Animal adaptations (terrestrial, cursorial, scansorial, volant, aquatic, fossorial, etc.).
Adaptive radiation. Fossilization (plant and animal fossils); Human evolution.

UNIT – II

Cytology: Light & Phase Contrast Microscopy; Confocal and Electron Microscopy (TEM & SEM); Plasma Membrane (structure, function and models); Cytoplasm (Cytoplasmic matrix and cytoplasmic organelles); Cytoskeleton (Microtubules and Microfilaments); Centrioles; Endoplasmic reticulum; Golgi complex; Mitochondria; Lysosomes; Plastids; Ribosomes; Nucleus and Nucleolus; Chromosomes

(structure, size and shape); Nucleosome model; Eukaryotic chromosome: structure, composition, karyotype analysis; Structure and function of Polytene and Lampbrush chromosomes; Cell division.
Chemical constituent of living cells: Structure and classification of proteins, carbohydrates and lipids.
Genetic material: DNA and its types, DNA Replication, RNA and its types.
Genetics: Mendel's Laws of inheritance; Back cross and Test cross; Incomplete dominance; Co-dominance; Multiple alleles and inheritance of Blood groups; Sex determination (human, birds and honey bee);
Human genetics: Pedigree analysis, Sex-linked inheritance *viz.*, haemophilia, colour blindness; Chromosomal disorders in human beings: Down's syndrome, Turner's and Klinefelter's syndrome, Thalassemia.
Linkage: Concept and history, complete and incomplete linkage.
Crossing over: Concept and significance, cytological proof of crossing over; Types of mutations: effects of physical and chemical mutagens; Numerical chromosomal changes: euploidy, polyploidy and aneuploidy; Structural chromosomal changes: deletions, duplications, inversions and translocations.
Enzymes and classification: Mechanism of enzyme action, kinetics, inhibition and regulation, factors affecting enzyme action.
Plant and animal tissue system: Epithelial tissue, connective tissue, nervous tissue, and muscular tissue; Root and shoot apical meristems, simple, complex and secretary tissues, Root Apical Meristem (RAM) and Shoot Apical Meristem (SAM) theories. Root-stem transition, vascular tissue and secondary growth, abnormal or anomalous secondary growth.

UNIT – III

Taxonomy: Concept of species; Biological species concept; Modes of speciation (Allopatric, Sympatric); Nomenclature; Linnaean Hierarchy; Five kingdom system of classification; Salient features and classification of Monera, Protista and Fungi; Lichens; Viruses; Viroids and Prions; General characteristics, habitat, ecology and economic importance of fungi, bacteria, algae, bryophytes, pteridophytes and gymnosperms.
Viruses: Discovery, general structure, replication (general account), Lytic and lysogenic cycle, DNA virus, RNA virus.
Bacteria: Discovery, general characteristics, cell structure, reproduction–vegetative, asexual and recombination (conjugation, transformation and transduction).
Fungi: Range of somatic thallus organization, cell wall composition, nutrition, reproduction and classification of fungi; life cycle of *Albugo* (Mastigomycota) *Rhizopus* (Zygomycota) *Penicillium* (Ascomycota), *Puccinia, Agaricus* (Basidiomycota), *Alternaria* (Deuteromycota); General account of lichen and mycorrhiza.
Algae: Range of thallus organization, reproduction and classification of algae; morphology and life-cycles of: *Nostoc, Chlaymydomonas, Volvox, Oedogonium, Chara* and *Sargassum*.
Bryophyta: Classification; morphology, anatomy and reproduction of *Riccia, Marchantia, Anthoceros* and *Funaria*.
Pteridophyta: Classification; morphology, anatomy and reproduction of *Selaginella, Equisetum* and *Pteris*; heterospory, stelar evolution, telome theory.
Gymnosperms: Classification; morphology, anatomy and reproduction of *Cycas, Pinus,* and *Ephedra*.

UNIT – IV

Angiosperms: Types of classification- artificial, natural and phylogenetic, Bentham and Hooker's classification, Hutchinson's classification; Morphology and anatomy of different parts of flowering plants (dicots and monocots): root, stem, leaf, inflorescence and flower.
Families: Taxonomic features; floral characteristics; distinguishing features and economic importance of Ranunculaceae, Malvaceae, Brassicaceae, Fabaceae, Meliaceae, Apiaceae, Rosaceae, Rutaceae, Lamiaceae, Solanaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Liliaceae and Poaceae.

Pollination: Structure of anther and pollen, development of male and female gametophytes, types of ovules, Polygonum type of embryo sac, double fertilization, endosperm; types of endosperm, dicot and monocot embryo.
Fruits and seed.
Physiology: Movement of water, transpiration, guttation, mineral nutrition (macro- and micronutrients) in plants.
Photosynthesis: Photosynthetic Pigments (*Chl a, b,* xanthophylls, carotene), photosystem I and II, electron transport and mechanism of ATP synthesis, *C3, C4* and *CAM* pathways of carbon fixation, photorespiration.
Respiration: Glycolysis, anaerobic respiration, TCA cycle, oxidative phosphorylation.
Plant growth regulators: Discovery and physiological roles of auxins, gibberellins, cytokinins, abscisic acid and ethylene. Photoperiodism and Vernalization.

UNIT – V

Non-Chordata: General characters of Phyla and classification up to Classes.
Protozoa: Study of *Amoeba, Euglena* and *Paramecium* with reference to structure, locomotion, nutrition and reproduction. Life history and pathogenicity of *Entamoeba histolytica, Plasmodium vivax, Leishmania donovani* and *Trypanosoma gambiense*.
Metazoa: Porifera-Study of *Sycon* with reference to structure, reproduction. Canal system and skeleton system in sponges.
Coelenterata: Study of *Aurelia* with reference to morphology and reproduction; Alternation of generation in Coelenterates; Corals and Coral reefs.
Helminthes: Study of *Taenia* and *Ascaris* with reference to morphology, reproduction and parasitic adaptations; Life history and pathogenicity of *Schistosoma haematobium* and *Wuchereria bancrofti*.
Annelida: Types and significance of coelom, reproduction; Parasitic adaptations of Hirudinaria; Trochophore larva and its significance.
Arthropoda: Study of *Palaemon* with reference to morphology, respiration, excretion and reproduction; Zoological importance of *Peripatus* and *Limulus*; Life cycle, pathogenesis and control of *Anopheles, Culex, Aedes, Xenopsylla cheopis, Phlebotomus argentipes*.
Mollusca: Study of *Pila* and *Unio* with reference to morphology, respiration and reproduction; Torsion; Pearl formation.
Echinodermata: Study of *Asterias* with reference to morphology, locomotion, water vascular system, mode of feeding and reproduction.

UNIT – VI

General characters and outline classification of Chordata up to Classes.
Hemichordata: General characters, classification and affinities; *Balanoglossus*: morphology, anatomy and development.
Urochordata: General characters and classification; *Herdmania*: Morphology, blood vascular system, organ of neural complex, reproductive system, development and retrogressive metamorphosis.
Cephalochordata: Salient features; *Branchiostoma* (*Amphioxus*): Morphology, respiratory, digestive, excretory, reproductive system and development.
Cyclostomata: General characters and classification; External features and a comparative study of *Petromyzon* (Lampreys) and *Myxine* (Hagfishes).
Pisces: General characters of cartilaginous and bony fishes; Type study of *Scoliodon*.
Dipnoi: Distribution, general characters, classification and affinities; Scales and fins and accessory respiratory organs in fishes.
Amphibia: General characters and classification; Parental care.
Reptilia: General characters and distribution of *Chelonia* and *Rhynchocephalia*; Ophidia; Poisonous and non-poisonous snakes; Biting mechanism in snakes; Venom and Antivenom; Crocodilia.

Aves: General characters, morphology, digestive, respiratory and urinogenital system of *Columba;* Feathers and aerial adaptations in birds.

Mammalia: General organization. Salient features and distribution of Prototheria, Metatheria and Eutheria.

UNIT – VII

Metabolism: Carbohydrates (Glycolysis and Glycogenesis), Proteins (Transamination, Deamination, Urea cycle *etc*) and Lipids (β- oxidation of fatty acids).

Skeletal system: Role in animals; joints; ultrastructure of skeletal muscles; Molecular and chemical basis of muscle contraction; Disorders of muscular and skeletal systems (myasthenia gravis, tetany, muscular dystrophy, arthritis, osteoporosis, gout).

Digestive System: Digestion and absorption of carbohydrates, proteins and lipids; Ruminant stomach in ungulates.

Vertebrate respiration: Transport and regulation of oxygen and carbon dioxide; Disorders related with respiration: asthma, emphysema, occupational respiratory disorders.

Circulatory system (Open and Closed): Blood and Lymph; Coagulation of blood; Comparative anatomy of vertebrate heart; Origin and conduction of the cardiac impulse; Cardiac cycle. Cardiac output; ECG; Disorders of circulatory system (hypertension, coronary artery disease, angina pectoris).

Excretion System: Modes (ammonotelism, ureotelism, uricotelism); Kidney and urine formation; Osmoregulation; Regulation of kidney function (rennin-angiotensin); atrial natriuretic factor; ADH and diabetes insipidus; Uremia; Renal calculi; Nephritis; Dialysis.

Endocrine System: Glands and hormones; Mechanism of hormone action; Effects of hyper- and hyposecretion of various hormones; Thermoregulation; **Pheromones.**

Nervous System: Central (CNS) and peripheral (PNS) nervous system; Autonomic Nervous system (ANS); Generation and conduction of Nerve impulse; Reflexes and reflex actions.

Reproductive System: Male and female reproductive system (Mammalia); Gametogenesis; Menstrual cycle; Fertilization.

UNIT – VIII

Embryology: Types of eggs and cleavages; Elementary concept of primary organizer; Induction; nature and its mechanism of action; Totipotency; Teratogenesis; Differential expression of genes in *Drosophila*; Fate map (fate map of blastula of Frog); Fate of germ layers; Types of morphogenetic movements; Gastrulation in frog; chick and mammal; Hormonal regulation of metamorphic events in frog; Extra Embryonic Foetal Membrane (Chick); Development of chick embryo up to 72 hours; Types of Placenta in mammals.

Animal Behaviour: History and terminology; Taxis and Kinesis; Instinct; Learning behaviour (Spatial learning, Associative learning, Classical conditioning, Operant conditioning); Imprinting; Biological rhythms and The Biological Clock; Communication [Visual, olfactory, acoustic (bird songs, amphibian calls)]; Echolocation in bats; Elements of sociality and social grouping in animals; Neural and hormonal control of behaviour.

Economic Botany: Role of plants in Human Welfare; Importance of forests their utilization and commercial aspects; Fruits and nuts; Important cereals, pulses, vegetables, fibers, oils, spices, medicinal plants; Timber and wood.

Economic Zoology: Animal Husbandry- Cattle and cattle breeds; Artificial insemination in cattle; Poultry and poultry breeds; management of breeding stock and broilers; Processing and preservation of eggs; Pisciculture: Indian Major Carps and Chinese carps; Composite fish farming. Induced breeding and transportation of fish seed; Sericulture and Apiculture; Common household insects and crop pests; Insect pest management; Integrated pest management.

UNIT – IX

Biogeochemical cycles: Water, Carbon, Nitrogen and Phosphorus cycle; Abiotic and Biotic factors; Nitrogen fixation.

Ecosystem: Types, trophic levels and energy flow; Food web and food chains; Ecological pyramids; Plant communities- characteristics; Plant succession.

Population estimation: Population density, Natality, Birth rate and death rate; Age distribution; Interactions (Mutualism, competition, predation and parasitism).

Biodiversity: Concepts; *In situ* and *ex situ* conservation; Hotspots; Ramsar sites; Botanical gardens; Herbaria; Zoological parks and Museum; National Organizations involved in wild life conservation; Important wildlife of India (with special reference to Uttarakhand); Wildlife Legislation – Wildlife Protection Act - 1972, CITES, IUCN Red and green data book; Protected Areas: National Parks, Sanctuaries, Biosphere Reserves of India, Tiger reserves in India.

Pollution: Types and control; Pollution associated health hazards; Eutrophication; Biomagnification; Ozone Layer depletion; Green House effect and Acid Rain.

UNIT – X

Biotechnology: Nucleic acids as genetic material. Genome and its organization- genes, coding sequence, regulatory sequence, intron, exon, genetic code, principles of gene regulation, regulation of gene expression; Recombinant DNA technology; Blotting techniques; Cloning- Cloning vectors; c-DNA and cloning; c-DNA libraries; DNA and RNA Polymerases; Restriction Enzymes; Polymerase Chain Reaction; Electrophoresis; DNA fingerprinting.

Plant tissue culture: Totipotency; Callus culture.

Plant breeding: Methods, Hybridization and mutational breeding, Hybrid vigour, Pioneer institutes in the field of plant breeding.

Biostatistics: Sampling techniques; representation of grouped and ungrouped data; Measures of central tendency- mean, mode, median; Measures of dispersion, mean deviation, variation, standard deviation.

Part C
(Agriculture and Animal Husbandry)

70 Marks

UNIT-I

Importance of agriculture in national and state economy of Uttarakhand; Classification of field crops; Principles of crop production; Cultivation practices of common crops- Cereal Crops: paddy, maize, wheat, barley, oat, sorghum, pearl millet and finger millet; Oilseed Crops: rapeseed and mustard, linseed, sunflower, soybean, groundnut and sesame; Pulse Crops: chickpea, field pea, lentil, rajma, pigeon pea, mung bean, urd bean and cluster bean; Fodder Crops: oat, berseem, lucerne and cowpea; Cash Crop: sugarcane; Fibre Crops: jute and cotton; Green manuring crops: dhaicha and sunhemp; Calculations of plant population, seed rate and fertilizers; Principles and methods of weed control; Classification of Herbicides; Allelopathy; Irrigation: sources of irrigation, different methods of irrigation, water use efficiency, water logging condition, water requirement of crops, measurement of water, discharge, prevention of loss of water, disadvantage of excess moisture, drainage; Farming Systems; Sustainable agriculture; Precision farming; Rainfed Agriculture and watershed management; Organic and natural farming: scope and principles, nutrient management, plant protection measures, biofertilizers, certification process and standards; National and international agriculture institutions; Agroforestry Systems, Indian traditional knowledge in Agriculture; General information of Agriculture in Uttarakhand.

UNIT-II

Importance of horticulture in national and state economy of Uttarakhand; Classification of horticultural crops; Cultivation practices of major horticultural crops-Fruit crops: mango, banana, litchi, grape, papaya, guava, apple, peach, pear, plum, apricot, pomegranate, sapota, custard apple, jackfruit, strawberry; Vegetable crops: potato, tomato, brinjal, chilli, okra, pea, cucurbits, cauliflower, cabbage, broccoli, sweet potato, radish, carrot, onion, garlic, French bean, ginger, turmeric, fenugreek, coriander, spinach; Floriculture crops: rose, gladiolus, marigold, lilium, chrysanthemum, carnation, gerbera, tuberose; Medicinal and aromatic crops: ashwagandha, sarpagandha, aloe vera, isabgol, lemon grass, citronella, mint, vetiver, palmarosa; Plantation crops: tea, coffee, cashew nut, rubber and coconut; Plant propagation; Plant growth regulators; Training and pruning; Unfruitfulness; Pollination; Parthenocarpy; Orchard establishment and management; Protected cultivation; Nursery management; High density planting; Hydroponics; Mushroom production; Pre and post harvest management of horticultural crops and their produce; Principles and components of landscaping; Types of gardens; Flower arrangement; General information of Horticulture in Uttarakhand.

UNIT-III

Soils: Origin and classification, soil profile, soil composition, physical and chemical properties, rocks, minerals and their classification, weathering processes, soil forming factors, soil colloids and their classification; Soil health management and microorganisms; Soil fertility and productivity: history of soil fertility, soil fertility evaluation; Nitrogen, Carbon and Phosphorus cycles. Essential plant nutrients (macro and micro): deficiencies, toxicity symptoms and availability; Soil organic matter; Classification, composition and properties of manure and fertilizers, principles and methods of fertilizer application; Soil water: retention, movement and availability; Soil temperature; Soil Pollution; Problematic soils: their classification and management, land capability classification; Soil erosion: types and its conservation techniques; Fertilizer control order; Transportation of nutrients from soil to root; nutrient use efficiency; Soil testing; Integrated plant nutrient management; Agro-climatic and agro-ecological zones; Earth atmosphere and composition; Atmospheric weather variables; Types of weather forecast and their uses; Climate change and global warming; Geo-informatics and remote sensing; General information of soils in Uttarakhand.

UNIT-IV

Classification of plant diseases and pathogens; Diseases caused by biotic and abiotic factors, Common diseases of important agricultural and horticultural crops and their management; Post harvest disease management; Disease etiology; Symptomatology; Defence mechanism of plant diseases; Factors affecting disease development; Classification of insects; Morphology and structure of insects; Biotic and abiotic factors responsible for insect infestation; Storage grain pests and their management; Different methods of insect pest and disease management; Classification of pesticides and their mode of action; Biopesticides; Disease and insect forecasting; Economic threshold level; Safety issues in pesticide uses; Legal aspects; Plant quarantine laws; Agricultural microbiology; Beneficial insects.

UNIT-V

Mendel's Laws of heredity; Structure of Chromosome; Chromosomal aberration, Cell cycle; Meiosis and mitosis; Linkage and crossing over: types, mechanism and significance; Sex chromosomes and its determination, sex linked characters; Genetic code; Nucleic acid; Genetic material structure and gene interaction; Replication; Translation; Transcription; Chromosomal theory of inheritance; Mutation: spontaneous and induced; Mode of reproduction; Mode of pollination; Male sterility; Self

incompatibility; Plant genetic resources; Centre of origin; Conventional and non-conventional breeding methods for crop improvement; Breeding for biotic and abiotic stress; Biofortified varieties; Climate resilient varieties; Biotechnology and its application in agriculture; Synthetic seed; Seeds and its characteristics: classes of seeds, seed certification, seed production techniques, seed processing, seed quality and testing, seed treatment, seed storage, and seed marketing; Seed Act, 1966; Seed Control Order 1983; Protection of plant variety and Farmer's Rights Act, 2001; Intellectual Property Rights; GI tag;

UNIT-VI

Plant Cell; Stomata; Diffusion; Osmosis; Water and nutrient uptake, Transpiration; Respiration; Photosynthesis; Plant growth substances; Photoperiodism; Vernalization; Dormancy; Functions of water, carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals; Principles and methods of food processing and preservation; Food and nutrition; Nutritional disorders; Malnutrition; Energy metabolism; Balanced diets; Natural resources; Ecosystem; Biodiversity and its conservation; Environmental pollution; Natural and man- made disaster management;

UNIT-VII

Role of livestock in national and state economy of Uttarakhand; Important terminology related to livestock production; Major breeds of cow, buffalo, goat, sheep, poultry and pig; Digestive and reproductive system of ruminant and non-ruminant animals; Care and management of cattle and poultry; Principles of feeding of various classes of livestock and poultry; Housing management of livestock; Disease management of cattle and poultry; Identification methods of animals; Breeding methods in animals; Artificial Insemination; Castration; Classification of common feeds, fodders and ration; Composition of ration; Conservation of fodders; Operation Flood; Milk: physical and chemical properties, Milk adulteration; Composition of milk and colostrums; Processing of milk for filtration; Clarification; Bactofugation; Standardization; Homogenization; Cream separation and centrifugation; Processing and composition of indigenous milk products: paneer, chhena, ghee, khoa, dahi and shrikhand and other milk products: cream, butter, ice-cream, condensed milk, milk powder, cheese.

UNIT-VIII

Introductory agricultural economics: macroeconomics, microeconomics, agricultural planning and development in the country, demand, elasticity of demand, law of returns, cost, supply, price, national income, banking, tax, economic systems, relative prices and standard of living, status of land holding; Agriculture finance and its sources; Micro finance; Agriculture credit and analysis; SWOT analysis; Agriculture cooperation and development of cooperative societies in India; Newly launched Govt. schemes for agriculture and rural development; Crop insurance; Agriculture Marketing; Classification and characteristics of Agriculture market; Agriculture commodities; Supply and demand of agriculture produce; Govt and public sector institutions in agriculture marketing; Agriculture price policies; Agriculture trade; Principles of farm management; Farm business analysis; Production: meaning, factors of production such as land, labour, capital and management, properties of factor of production; Intensive and extensive agriculture; Agriculture-place in Five Year Plans; Extension Education, Extension programme planning, Extension systems in India.

UNIT-IX

Status and source of farm power and their working principles; Different systems of IC engines; Power transmission system; Tractor, seed drill, seed cum fertilizer drill, power tiller, power weeder, primary and

secondary tillage implements; Implements for hill agriculture, plant protection, harvesting and threshing implements, pumps, water lifting devices; Discharge; Command area; Calibration of seed drill; Renewable energy and its application in agriculture

UNIT-X

Measures of central tendency (mean, median, mode); Geometric mean; Harmonic mean; Measures of dispersion (range, quartile deviation, variance, standard deviation, standard error of mean, coefficient of variation); Correlation and regression; Probability; Skewness and kurtosis; Introduction to computer, operating system, e-agriculture and computer models in agriculture.

NOTE- *Current General Knowledge and scientific advancement related to above units are also deemed to be included.*

परीक्षा नियंत्रक
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

सचिव
उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
देहरादून

(जसवन्त सिंह चौहान)
अनुभाग अधिकारी
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4
उत्तराखण्ड शासन

परिशिष्ट–2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..निवासी ग्राम....................................

तहसील...नगर.......................................जिला...

उत्तराखण्ड की... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950(जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी...तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम.......................................तहसील...नगर.. ..जिला...में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर...

पूरा नाम..

पदनाम..

मुहर...

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/
सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/
तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ख)

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..निवासी ग्राम.................................... तहसील..नगर..जिला.. ....उत्तराखण्ड के राज्य की..पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम, 1994 की अनुसूची–2 में अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम....................................तहसील..नगर... ..जिला..में सामान्यतया रहता है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

पदनाम..

मुहर..

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी
मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/
जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(ग)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता)

(अधिसूचना संख्या–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या..वर्ष..........................हेतु मान्य दिनांक..................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्र/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मोहल्ला... पोस्ट ऑफिस...जिला..पिन कोड.........................

उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से वित्तीय वर्ष...की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित मानक ₹ 8.00 लाख(रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धारित नहीं करता हैं :–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी..जो कि................................जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक का नवीनतम पासपोर्ट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर

नाम..

पदनाम..

परिशिष्ट–2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र

शासनादेश संख्या–4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री..निवासी ग्राम....................................

तहसील..नगर.......................................जिला..

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित)..
..............पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :–

दिनांक :–

हस्ताक्षर..

पूरा नाम..

पदनाम..

मुहर..

जिलाधिकारी..

परिशिष्ट–2(च)

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्याः–...

तारीख..............................

निःशक्तता प्रमाण–पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0..

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री...आयु................लिंग..............पहचान चिह्न..........................

....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात(फॉलिज)

i. दोनों टांगे(बी. एल.) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

ii. दोनों बांहें(बी. ए.) – दोनों बांहे प्रभावित (क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

iii. दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) – दोनों टांगे और दोनों बांहें प्रभावित

iv. एक टांग(ओ.एल.) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

v. एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुंच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

vi. पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन(बैठ और झुक नहीं सकते)

vii. कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

i. बी. – अंधता
ii. पी. बी. – आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

i. डी. – बधिर
ii. पी. डी. – आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती–...........वर्षों......................महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत........................है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी..अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

i.	एफ– अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकतें/सकती हैं।	हां/नहीं
ii.	पी.पी.– धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iii.	एल– उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
iv.	के.सी.– घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
v.	बी– झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vi.	एस– बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
vii.	एस.टी.– खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
viii.	डब्लू– चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
ix.	एस.ई.– देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
x.	एच– सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं
xi.	आर.डब्लू.– पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।	हां/नहीं

(डा0......................................)	(डा0......................................)	(डा0.................................)
सदस्य चिकित्सा बोर्ड	सदस्य चिकित्सा बोर्ड	सदस्य चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

*जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–03

शासनादेश संख्या 374(1)/xxx(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में निर्देशः–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomotor disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया, (दानों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क पक्षाघात) से ग्रस्त है तथा इसके अतिरिक्त बेंचमार्क विकलांगता वाले अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के मामले में श्रुतलेखक (Scribe) की अनुमति इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दी जा सकती है कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक रूप से लिखने में अक्षमता है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए श्रुतलेखक (Scribe) आवश्यक है। इस हेतु देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सा/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करने वाले अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक (Scribe) हेतु दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–3(क) की प्रति, श्रुतलेखक (Scribe) से संबंधित परिशिष्ट–3(ख) की प्रति एवं श्रुतलेखक (Scribe) की दो आवक्ष फोटो, शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण–पत्र एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात श्रुतलेखक (Scribe) उपलब्ध कराये जाने से संबंधित किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी के प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 03 दिन पूर्व अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र की प्रति के साथ परिशिष्ट–3(क) प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी।

3. श्रुतलेखक (Scribe) की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

4. दिव्यांग अभ्यर्थी की लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्न–पत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

5. श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

6. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट–3(क)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that; I have examined Mr./Ms./Mr. .... (name of the candidate with disability), a person with .... (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o .... a resident of .... (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution.

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–3(ख)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I ...., a candidate with .... (name of the disability) appearing for the .... (name of the examination) bearing Roll No. .... at .... (name of the Centre) in the District .... (name of the State). My qualification is ....

I do hereby state that .... (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is .... In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date: